

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल 2016—वैशाख 1, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-12-2010-1-पांच (28).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20, सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-12-2010-1-पांच (64), दिनांक 30 जून 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, व्यंकटनगर से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

#### अनुसूची

| जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण<br>(1)                     | जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति<br>(2)  |
|---|--|
| “अनूपपुर-पेन्द्रा मार्ग व्हाया जैतहरी पर ग्राम खूंटाटोला, जिला अनूपपुर. | अनूपपुर-पेन्द्रा मार्ग व्हाया जैतहरी अनूपपुर से (पेन्द्रा की ओर) 23-24 कि.मी. के मध्य एकीकृत जांच चौकी पर” |

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 मई 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-12-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-12-2010-1-पांच (28), दिनांक 21 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 21<sup>st</sup> April 2016

No. F-A-3-12-2010-1-V-(28).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-12-2010-1-V-(64), dated 30th June, 2010, namely :—

## AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for entries, relating to Vyankatnagar, the following entries shall be substituted, namely :—

## TABLE

| Name and description of place of check post and barrier<br>(1)                       | Location of check post and barrier<br>(2)  |
|--|--|
| “Village Khoontatola in the district of Anuppur on Anuppur-Pendra Road via Jaithari” | At Integrated check post between 23-24 K.M. from Anuppur (towards Pendra) on Anuppur-Pendra Road via Jaithari” |

2. This notification shall come into force from 1st May, 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-18-2016-1-पांच (29).—यतः, राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तुरन्त किए जाएं,

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन्, 2002) धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 सहपठित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2016-1-पांच (25), दिनांक 2 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 3 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“3 (एक) खण्ड 1 के उपखण्ड (दो) द्वारा किया गया संशोधन 5 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगा, और

(दो) शेष संशोधन 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-3-18-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-18-2016-1-पांच (29), दिनांक 21 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 21<sup>st</sup> April 2016

No. F-A-3-18-2016-1-V-(29).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 read with this department's notification No. F-A-3-18-2016-1-V-(25), dated 2nd April 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said notification for clause 3, the following clause shall be substituted, namely :—

- “3 (i) The amendment made by sub-clause (ii) of clause 1 shall come into force from 5th April, 2016; and  
(ii) the remaining amendments shall come into force from 1st April 2016.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.